3

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज जगाराम पुत्र जवानाराम, निवासी बासडाई, लाखागुडा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर प्रथम सूचना अपील संख्या :– 96/2022 जीसीएमएस नं. :– 2022/563 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.05.2024	–: निर्णय :– 1. पत्रावली आज पेश हुई । अपीलार्थी उपस्थित। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 30.05.2022 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली से चाही गई थी परन्तु रेस्पोडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. वांछित सूचना तहसीलदार, रायपुर से संबंधित होने से लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी ने जरिये पत्रांक द्वारा अवगत करवाया कि अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 15 दिनांक 28.01.2022 के द्वारा सूचित कर दिया गया। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। 4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रायपुर द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है तथा वह रेस्पोडेण्ट के जवाब से संतुष्ट है। 5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। 6. निर्णय आज दिनांक **29.05.2024** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (एल.एन. मंत्री) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली	